

*Justice K. G. Balakrishnan*  
Chairperson  
(Former Chief Justice of India)



**National Human Rights Commission**

Faridkot House, Copernicus Marg,

New Delhi-110 001 India

Phone : 91-011-23382514

Fax : 91-11-23384863, 23386521


E-mail : chairnhrc@nic.in

**संदेश**

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आम आदमी के मानव अधिकारों की रक्षा करने तथा उसे बढ़ावा देने के अपने प्रयास में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को अनिवार्य मानता है। 9 दिसम्बर, वह दिन जब वर्ष 1998 में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से संबंधित घोषणा पत्र अंगीकार किया गया था, एक ऐसा दिन है जब आयोग को सभी मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए योगदान तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कभी-कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्तिगत खतरों को उठाते हुए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को कबूल करने का अवसर प्राप्त होता है।

मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को उनके लक्ष्य में मजबूती प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए आयोग ने हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इनमें वार्षिक रिपोर्ट में एक अध्याय शामिल करना, वेबसाइट पर उनसे संबंधित मामलों की स्थिति दर्शाना, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक फोकल प्वाइन्ट का गठन करने के साथ-साथ उनसे संबंधित विषयों पर कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का आयोजन करना शामिल है। आयोग ने जमीनी स्तर पर मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों को समझने के लिए देश के दूर-दराज के क्षेत्रों का दौरा किया है तथा उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के जरिए प्रयास किए हैं। आयोग में प्राप्त होने वाली मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से संबंधित शिकायतों को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा गुण-दोष के अनुसार पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई है।

आयोग मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को उनके सच्चे हितों तथा उद्देश्यों की रक्षा के लिए निरंतर अपने सहयोग का आश्वासन देता है। आयोग 9 दिसम्बर की घोषणा को मानव अधिकार कार्यकर्ता दिवस के रूप में समर्थन देता है क्योंकि इससे मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका को प्रोत्साहन मिलेगा।

  
(अध्यक्ष)